संख्या-292/2015/4619/नौ-5-2015-172बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
इलाहाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 01 सितम्बर 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1428/2015-16 दिनांक 22.06.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष कुल **रू. 400.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू. 100.00 लाख (रू. एक करोड मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

जनपद/निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
नगर निगम, इलाहाबाद	1. कमला नगर वार्ड 27 में स्टैनली रोड से मुरलीधर दूबे के आवास तक नाली पटरी एवं सड़क का सुधार कार्य।	32.29		
	2. पुराना कटरा वार्ड 43 में जोन आफिस के बगल से जाती हुई सड़क का सुधार कार्य।	11.19		
	3. मोहत्सिमगंज जोन-2 आन्तरिक सड़कों का सुधार कार्य।	21.66		
	4. कटरा माधवकुंज वार्ड 23 में आवास सं0 1/3, 26/3 व 15/4 कटरा के सामने वाली सड़क एवं पटरी सुधार कार्य।	24.96		
	5. फाफामऊ वार्ड 21 मातादीन का पुरवा में राजेन्द्र पटेल के आवास से सभासद कार्यालय तक सड़क सुधार कार्य।	24.43		
	6. दारागंज वार्ड 56 में नागवासुकी मन्दिर से नागवासुकी तिनमुहानी तक सी.सी.इंटरलाकिंग सड़क पटरी व नाली सुधार कार्य।	32.06		
	7. जहाँगीरबाद वार्ड 36 में हीरालाल के आवास सं. 182 से विनोद विलियालम व सच्चिदानन्द के आवास होते हुए फूलनदेवी के आवास तक पटरी एवं नाली का निर्माण एवं सुधार कार्य।	12.46		
	8. कल्लू कचौड़ी से छोटा चौराहा एवं सरसुलेमान रोड से चमरौटी तक की गली का सुधार कार्य।	39.95		
	9. सालीगंज रोड के निकट गंगाराम व्यायामशाला 547/बी में क्षतिग्रस्त सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	10.75		
	10. टी0पी0नगर वार्ड 29 में ए0एन0सिंह के आवास से	29.95		

जनपद/निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
	मानसिंह यादव के आवास होते हुए मिश्रा जी कमान्डेन्ट के आवास तक सड़क पटरी एवं नाली का सुधार कार्य।			
	11. चकनिरातुल वार्ड नं. 16 में अमरनाथ डेरी से बेहनानी बस्ती सुलभ काम्पलेक्स तक गली एवं नाली सुधार कार्य।	28.12		
	12. चकिया वार्ड 33 में पुराना जी0टी0रोड से गोविन्द नगर कालोनी तक आन्तरिक सड़क एवं पटरी का सुधार कार्य।	14.46		
	13. बेनीगंज वार्ड 40 में भागवत चौराहा से आर0 पी0 मिश्रा के आवास होते हुए 60 फिट रोड तक सड़क पटरी एवं नाली का निर्माण कार्य।	39.68		
	14. वार्ड 54 में सलौरी तिराहे पर सड़क का चौड़ीकरण एवं नाली निर्माण	18.92		
	15. वार्ड 26 गोविन्दपुर में अपट्रान चौराहे से सब्जी मण्डी रोड तक सड़क का सुधार कार्य	20.00		
	16. वार्ड 30 शंकरघाट रोड के सामने कोयला गली से सिंह जनरल स्टोर होते हुए पूजा देवी आवास सं.113/15 तक सड़क/नाली एवं कल्वर्ट का सुधार कार्य	18.18		
	17. सुलाकी चौराहा से कोठापार्चा चौराहा तक सड़क का सुधार कार्य	25.74		
	18.वार्ड 25 मालीदादा क्रासिंग से श्री के0 एन. सिंह सी0डी0ओ0 आवास सं.394 एवं एस0पी0 सिंह आवास सं.404/28बी/112 से रानीदेवी आवास सं0 4/317 एवं आनन्द मेडिकल से मालीदादा चौराहा तक सड़क/नाली एवं कल्वर्ट का सुधार कार्य	10.72		
	योग	**415.52**	**400.00**	**100.00**

(रू. एक करोड मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा नगर निगम, इलाहाबाद के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

shashnadesh.up.nic.in

5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-2-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-292/2015/4619(1)/नौ-5-2015-172बजट/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5. महापौर, नगर निगम, इलाहाबाद।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-01/09/2015

प्रेषण संख्या:- 292

आवंटन आदेश संख्या:- 001-292-2015-4619-9-5-2015-172B-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	इलाहाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी